न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –72/2017

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2017/00090

अपीलान्ट्स

1. सत्यनारायण पुत्र धन्ना जाति ब्राह्मण
2. महावीर पुत्र धन्ना जाति ब्राह्मण
3. बद्रीप्रसाद पुत्र धन्ना जाति ब्राह्मण
निवासीगण गौड़ा की ढ़ाणी,
तहसील परबतसर जिला नागौर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. लालचंद पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण
2. सुखदेव पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण
3. मनफूल देवी पत्नि मूलचंद जाति ब्राह्मण
4. कंचन देवी पुत्री मूलचंद जाति ब्राह्मण
5. मूनी देवी पुत्री मूलचंद जाति ब्राह्मण
6. चंदा देवी पुत्री मूलचंद जाति ब्राह्मण
7. सुनीता पुत्री मूलचंद जाति ब्राह्मण
8. अनिता पुत्री मूलचंद जाति ब्राह्मण
9. रामेश्वर पुत्र सुगनचंद जाति ब्राह्मण
10. बाबूलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण
11. श्यामसुन्दर पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण
12. रतनलाल पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण
13. हेमराज पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण
14. पुखराज पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण
15. विमला देवी पत्नि भंवरलाल जाति ब्राह्मण
16. इच्छु देवी पुत्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण
17. बालकिशन पुत्र धन्ना जाति ब्राह्मण
18. केशर देवी पत्नि गोपीराम जाति ब्राह्मण
19. बाबूलाल पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण
20. रमेश कुमार पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण
21. रामप्रसाद पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण
22. बनवारीलाल पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण
23. श्यामसुन्दर पुत्र बिरदीचन्द जाति ब्राह्मण
24. कुंज बिहारी पुत्र बिरदीचंद जाति ब्राह्मण
25. रामेश्वरी पत्नि बिरदीचंद जाति ब्राह्मण निवासीगण सभी गोड़ा की ढाणी, तहसील परबतसर जिला नागौर
26. संजय पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी सादा की ढाणी तहसील परबतसर जिला नागौर
27. तहसीलदार, परबतसर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट्स की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास एंव श्री ओमप्रकाश गौड़।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 16 की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 27 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Sohi
Date: 2021.11.26 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश **दिनांक : 19/04/2021**

अपीलांट्स ने यह अपील [illegible] 75 राजस्थान [illegible] अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम नड़वा तहसील परबतसर के नामान्तरकरण [illegible] तहसीलदार परबतसर द्वारा दिनांक 20.01.83 स्वीकृत करने के विरूद्ध यह नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के

कलक्टर, नागौर

साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्ट्स की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 व 17 से 25 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट्स ने अपीलान्ट्स की ओर से बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील अपीलान्टस् को बिना नोटिस दिये एकपक्षीय रूप से पारित किया। इस कारण अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी। अभी हाल ही में कुछ पक्षकारान द्वारा राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद परबतसर में पेश किया गया। तब प्रथम बार अपीलान्टस् को नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्टस् ने दिनांक 29.05.2017 को नामान्तकरण जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। तब उक्त नामान्तकरण की सम्पूर्ण जानकारी विधिवत् रूप से हुई। इससे पूर्व अपीलान्टस् को आदेश जैर अपील की कतई जानकारी नहीं थी। नामान्तकरण जैर अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध व विधि विरूद्ध होने से स्वीकृत किया गया है। जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इस कारण न्याय हित में अपील अन्दर मयाद शुमार किया जाना उचित एवं न्याय संगत होने का कथन करते हुए आवेदन स्वीकार कर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री कैलाश गालवा ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील आदेश दिनांक 20.01.1983 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 05.06.2017 को अत्यधिक विलम्ब से अर्थात् करीब 34 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की है। वकील अपीलांट का कथन कि उन्हे उक्त नामान्तरकरण जैर अपील आदेश की जानकारी हाल ही में राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद परबतसर पेश करने पर हुई किन्तु वकील अपीलांट ने उक्त कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है इसलिए वकील अपीलांट का उक्त कथन कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वकील अपीलांट का कथन कि नामान्तरकरण जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध एंव विधि विरूद्ध ढंग से स्वीकृत किया गया है, जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 391 दिनांक 20.01.1983 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुरूप पारित किया गया है। अपीलांट यदि तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.1983 से यदि किसी प्रकार से असंतुष्ट है तो उन्हे उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। वकील अपीलांट ने हस्तगत अपील 34 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए अपीलांट्स की प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 20.01.1983 को पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 05.06.2017 को अर्थात् करीब 34 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की है, जो असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है। वकील अपीलांट का कथन की अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण जैर अपील आदेश की जानकारी हाल ही में कुछ पक्षकारान द्वारा राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद परबतसर पेश करने पर हुई परन्तु वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई प्रमाणिक साक्ष्य पेश नहीं की है। इसलिए वकील अपीलांट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट का कथन कि नामान्तरकरण जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध एंव विधि विरूद्ध ढंग से स्वीकृत किया गया है, जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 391 दिनांक 20.01.1983 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत होता है। वकील अपीलांट ने 34 वर्ष पश्चात् असाधारण विलम्ब से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक एवं युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत् प्रस्तुत आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है एंव अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज की जाती है। प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलेक्ट्रेट, नागौर को मूल नामान्तरकरण लौटाया जावें एंव प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलेक्ट्रेट, नागौर एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर को आदेश की एक प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested